

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1667/2020

दिनांक 07.09.2020

श्रीमती आरती भारद्वाज (RJ0320), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा को दिनांक 21.08.2020 का एक दिवस का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) दिनांक 22.08.2020 से 23.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती भारद्वाज की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
07/9/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/25/2000/3723

दिनांक : 07.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा को उनके पत्रांक 590 दिनांक 24.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती आरती भारद्वाज (RJ0320), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, दौसा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ।

सहायक रजिस्ट्रार